बैंकों में अनुपालन कार्य : बुनियादी बातें*

के.सी.चक्रवर्ती

श्री अनंत सुब्रमणियन, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आइसीएसआइ); श्री एलेन परेरा, निदेशक, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआइबीएम); डॉ. आर. भास्करन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैंस (आइआइबीएम); श्री एस.एस.मुंद्रा, सीएमडी, बैंक ऑफ बड़ौदा; श्री एम.वी.टंकसाल, सीमडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, देवियो और सज्जनो। आज मैं आइआइबीएफ द्वारा दो नये प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, यथा, सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफेशनल कोर्स, जो आइसीएसआइ के साथ संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, और सर्टिफाइड बैंक ट्रेनर कोर्स, जो एनआइबीएम के साथ संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, का शुभारंभ किये जाने के अवसर पर स्वयं को आपके बीच पा कर बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। मानव संसाधन प्रबंध और अनुपालन बैंकों में दो प्रमुख समर्थक कार्य होते हैं और इसीलिए आज आरंभ किये जा रहे पाठ्यक्रमों का बड़ा महत्व बैक कर्मचारियों के अपने-अपने क्षेत्र में कौशल बढ़ाने लिए है। विशेष रूप से आज यहाँ उपस्थित होने पर मुझे इसलिए प्रसन्नता हो रही है कि अनुपालन के संबंध में जिस पाठ्यक्रम की शुरुआत आज हो रही है, वह एक सपने के सच होने की तरह है, एक ऐसा सपना, जिसे मैंने डॉ. भास्करन के साथ साझा किया था, जब मैं पंजाब नैशनल बैंक में सीएमडी था।

2. जैसाकि आप जानते हैं, इन दो पाठ्यक्रमों का आज आरंभ करने वाली सभी तीन संस्थाएँ अपनी उत्कृष्ट परंपरा के लिए आत्मप्रशंसा कर सकने की पात्र हैं। जबकि आइसीएसआइ पेशेवर निकाय है, जो भारत में कंपनी सचिवों के पेशे का विकास एवं विनियमन करने के लिए जिम्मेवार है, आइआइबीएफ 1928 में अपनी स्थापना के समय से ही व्यावसायिक अर्हताप्राप्त एवं सक्षम बैंकरों और वित्तीय पेशेवर व्यक्तियों के विकास के उद्देश्य का समर्थन करती आ रही है। एनआइबीएम एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना रिज़र्व बैंक द्वारा इस अधिदेश के साथ की गयी है कि वह एक 'विशेषज्ञ समूह' के रूप में बैंकिंग प्रणाली में अपनी भूमिका निभायेगा। वस्तुतः, यह बात प्रशंसायोग्य है कि इन श्रेष्ठ संस्थाओं ने सहयोग का निश्चय किया है और अपनी-अपनी ताकत का उपयोग संयुक्त रूप से करते हुए इन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है, ताकि बैंकिंग उद्योग की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें और मैं सभी तीनों संस्थाओं को इस उपक्रमण के लिए बधाई देता हूँ।

3. मैं देखता हूँ कि इन पाठ्यक्रमों के दो सुस्पष्ट घटक हैं - कक्षा में पढ़ाई के बाद परीक्षा। मैं यह भी समझता हूँ कि आइआइबीएफ ने इन प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के लिए पाठ्यसामग्री विकसित की है, जो अभ्यर्थियों को उपयोगी निविष्टियाँ प्रदान करेंगी। सर्टिफाइड बैंक ट्रेनर पाठ्यक्रम में दो पत्र हैं - मानव संसाधन प्रबंध और प्रशिक्षण। जैसाकि हम सभी जानते हैं, आज भारतीय बैंकिंग प्रणाली विस्फोटक वृद्धि की नोक पर खड़ी है। इस वृद्धि का समर्थन एक उपयुक्त प्रशिक्षित श्रम-शक्ति की आपूर्ति करके किया जा सकता है। इसी संदर्भ में बैंक कार्मिकों का प्रशिक्षण बड़े महत्व का हो जाता है। नये युग की बैंकिंग के विकसित होने के साथ, प्रशिक्षकों को भी पर्याप्त रूप से सज्जित किया जाता है, ताकि वे नयी प्रौद्योगिकी का व्यवहार कर सकें और नयी नीतियाँ विकसित कर सकें। इस पाठ्यक्रम में संकाय सदस्यों के कौशल को सान चढ़ा कर प्रखर करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे प्रशिक्षक के रूप में अधिक प्रभावशाली हो सकें। मैं यह देखता हूँ कि सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में भी दो पत्र हैं - जोखिम, विनियमन एवं नियंत्रण तथा बैंकों में अनुपालन कार्य। दोनों पाठ्यक्रमों की संरचना का अध्ययन करने पर मैं यह नोट करके हर्षित हूँ कि उनमें भली-भाँति प्रत्यय निरूपण किया गया है और ये बैंकों में दो महत्वपूर्ण कार्यों को समर्थ बनाये जाने में समर्थ होंगे, अर्थात्, प्रशिक्षण और अनुपालन।

4. यद्यपि हम सभी इससे सहमत हैं कि ये दोनों मुद्दे बैंकों के लिए समान महत्व वाले हैं, मेरा कहना यह है कि मानव संसाधन प्रबंध एक अधिक आकर्षक विषय है और इस पर विचार विमर्श करने में लोग अधिक दिलचस्पी रखते हैं। ठीक-ठीक यही कारण है कि मैंने आज अन्य विषय के ऊपर कुछ कहने का विकल्प ढूँढ़ा है और वह है - अनुपालन, जिसे अपेक्षाकृत एक उबाने वाला एवं अरुचिकर विषय माना जाता है और यह सरसरी तौर पर बोर्ड रूम विचार विमर्श तक सीमित रह जाता है। मैं बैंकों में अनुपालन कार्य के महत्व और भारतीय संदर्भ में इसके विकास के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अपनी

* 12 जुलाई 2013 को मुम्बई में कंप्लायंस फंक्शन एंड ट्रेनिंग पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के शुभारंभ के अवसर पर डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्घाटन भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्री आर.केशवन द्वारा दी गयी सहायता को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

बातचीत के दौरान आज मैं इस बात पर भी गहराई से विचार करूँगा कि बैंकों के लिए अनुपालन सिद्धांतों का अनुसरण करना किसलिए आवश्यक है, जिससे कि वे आजकल की बैंकिंग की हमेशा बढ़ती जटिलता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकें।

अनुपालन का अर्थ क्या है?

5. इस विषय पर आगे बढ़ने के पूर्व 'अनुपालन' शब्द के आशय, प्रभाव और अभिप्राय को समझ लेना युक्तियुक्त होगा। मेरियम वेब्स्टर डिक्शनरी 'अनुपालन' शब्द की परिभाषा इस प्रकार देता है ''(क) अभिलाषा, माँग, प्रस्ताव, नियम या दबाव के साथ अनुपालन करने का कार्य या प्रक्रिया, (ख) कार्यालयीन अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुरूपता।'' बैंकिंग की भाषा में अनुपालन से विधियों, विनियमों, नियमों, प्रथाओं, संबंधित स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) मानकों, और विविध प्रकार के बैंकिंग कार्यकलापों के लिए प्रयोज्य आचरण संहिताओं का पालन संकेतित होता है। मेरे विचार में बैंकिंग अनुपाालन को मोटे तौर पर तीन भागों में बाँटा जा सकता है -

क) आंतरिक अनुपालन, एसआरओ मानकों सहित

ख) विनियामक अनुपालन

ग) विधिक अनुपालन

आंतरिक अनुपालन का अर्थ है निदेशक मंडल द्वारा बनायी गयी उन नीतियों का पालन करना, जिनके आधार पर एक आंतरिक अभिशासन ढाँचा अधिकथित किया गया होगा। इस प्रकार, आंतरिक अनुपालन बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। दूसरी ओर, विनियामक और विधिक अनुपालन पूरे बैंक पर लागू होता है - संस्था स्वयं वर्तमान विनियामक अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होगी और सबसे अधिक यह कि वह देश के कानून का अक्षरशःपालन करने के लिए जिम्मेवार होगी।

बैंकों में अनुपालन कार्य क्यों महत्वपूर्ण है?

6. अब मैं बैंकों में अनुपालन कार्य के महत्व की चर्चा करना चाहूँगा। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि कानून, रिवाज और संहिता, ये सभी इसलिए होते हैं कि विविध पणधारियों के आचरण में व्यवस्था और एकरूपता की झलक दिखाई पड़े। इनका अनुपालन क्रमबद्धता को सुनिश्चित करता है और समग्र प्रणालीगत सुभेद्यता को कम करता है। इसके लिए यह अनिवार्य है कि विनियमित संस्थाएँ स्वयं ही देश के कानून के प्रति प्रतिबद्ध रहने और स्व-नियमन सहित विनियमों का पालन करने की इच्छुक हों। अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए विनियामकों ने विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ अपनायी हैं, जो विधियों, नियमों और विनियमों (आदेशात्मक) के संहिताकरण से ले कर इस विषय पर आवधिक बैठकों (समीक्षातंत्र) तक विस्तारित हैं। तथापि, यदि एक या अधिक विनियमित संस्थाएँ विनियमों का पालन नहीं करती पायी जाती हैं, तो पर्यवेक्षकीय अधिकारी उन्हें बाध्य करने वाली तकनीकों का आश्रय ले कर उनसे विनियमों के अनुरूप कार्य करवाना सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार मौलिक रूप से, चाहे दबाव डाल कर या स्वैच्छिक रूप से हो, अनुपालन एक पूर्व शर्त होती है प्रणाली में व्यवस्था लाने और अस्तव्यस्तता रोकने के लिए।

7. अनुपालन ऐसी विषय-वस्तु है, जो बैंकिंग-कार्य के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। बैंकर सब समय जटिल विधिक, विनियामक और पर्यवेक्षकीय मुद्दों पर कार्रवाई करते हैं, जो बैंकिंग परिचालन के विविध क्षेत्रों से परे होता है। यही वह संदर्भ है, जिसमें विनियामक/पर्यवेक्षक द्वारा जारी किये गये निदेशों/दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए बैंकों में एक समर्पित ढाँचा आवश्यक होता है। अनुपालन-कार्य का उद्देश्य होता है विचलनों को कम करना; या जब ये घटित होते हैं, तब यह सुनिश्चित करना कि ऐसी एक प्रक्रिया विद्यमान हो, जो तत्परतापूर्वक प्रतिक्रिया करे और विसंगतियों का निवारण करे।

कुछ समस्याएँ . . .

8. अनुपालन सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेवारी शीर्ष प्रबंध तंत्र की होती है, यद्यपि अनुपालन की जिम्मेवारियाँ विभिन्न कार्यात्मक पंक्तियों और व्यवसाय की अवस्थिति तक पसरी होती है। यहाँ मैं कुछ बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ - शीर्ष प्रबंध तंत्र किस प्रकार स्वयं को संतुष्ट कर लेता है कि सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन हो रहा है? क्या यह घोषणा किये जाने पर आधारित होता है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या आपकी आंतरिक क्रियाविधि में शाखा प्रबंधक केवल क्षेत्रीय प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक को सूचित करता है कि सभी प्रकार के कार्य निर्धारित तरीकों का सख्ती से पालन करते हुए किये जाते हैं; क्षेत्रीय प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक इसे स्वीकार कर लेते हैं और इसके बाद वे इसी प्रकार की सूचना प्रधान कार्यालय को देते हैं, जो अंततः उसे प्रमाणित कर अनुपालन विभाग को भेजता है? क्या

ऐसी घोषणाओं को यथावत लिया जाता है या उस घोषणा की सच्चाई परखने की कोई आंतरिक प्रणाली होती है। दूसरे शब्दों में, क्या अनुपालन प्रक्रिया कार्रवाई आधारित होती है, न कि केवल घोषणा आधारित होती है?

9. भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यवार अनुपालन मैनुअल विकसित करने को कहा गया है। मैं यह जानना चाहूँगा कि कितने बैंकों ने व्यापक अनुपालन मैनुअल विकसित किया है और क्या एक आंतरिक प्रक्रिया बनायी गयी है, जो यह सुनिश्चित करे कि व्यवसाय में लगे व्यक्तियों द्वारा इन मैनुअलों का विधिवत पालन किया जाता है।

10. दूसरा मुद्दा, जिसे मैं आलोकित करना चाहता हूँ, वह अनुपालन अधिकारी के पद के संबध में है। मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार डीजीएम/एजीएम पंक्ति का एक अल्प शक्ति प्राप्त अधिकारी अनुपालन के कार्यान्वयन या प्रवर्तन के लिए जीएम, ईडी या सीएमडी से प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है। उपयुक्त और उचित मानदंड के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, जो कारपोरेट अभिशासन के उच्च मानकों को स्थापित करने के लिए तैयार किये गये हैं, सुस्पष्ट अधिदेश देते हैं कि केवल किसी वरिष्ठ अधिकारी को बैंकों द्वारा अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

11. आइए, मैं यहाँ एक अन्य प्रश्न करता हूँ; क्या बैंक अनुपालन को लागत समझते हैं या राजस्व अर्जन सरणी समझते हैं? इसका उत्तर एकदम स्पष्ट है। अनुपालन को लागत के रूप में माना जाता है और व्यवसाय में लगे लोग इसे एक अड़चन समझते हैं, न कि आवश्यकता। यहाँ मैं जोर दे कर कहना चाहता हूँ कि निर्धारित मानकों, संहिताओं, नियमों और विनियमों का अनुपालन बैंकों में कारपोरेट अभिशासन में सुधार लाता है। अनुपालन कार्य की भूमिका यह सुनिश्चित करने में होती है कि नियमों/विनियमों को बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं में ऊपर से ले कर नीचे तक युक्तियुक्त रूप से समाविष्ट किया जाता है, जो अनुपालन के महत्व को दर्शाता है। वरिष्ठ कार्यपालकों तथा व्यवसाय से संबद्ध अन्य लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे यह समझें कि अनुपालन विफलताएँ उनके लिए, व्यवसाय और पूरी प्रणाली के लिए निहितार्थ रखती हैं। एक अर्थ में, अनुपालन की आवश्यकता की तुलना घर्षण बल से की जा सकती है, जो यद्यपि गति को थोड़ा बाधित करता है, लेकिन फिर भी वह गति के लिए आवश्यक होता है। अनुपालन एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो व्यवसाय रूपी मशीन में तेल देता है और उसे चालू रखता है।

क्या अनुपालन हाल की घटना है ?

12. अनुपालन कार्यकलाप का अस्तित्व तब से है, जब पहला विनियम या कानून बनाया गया था। तथापि, आपके पास कोई कानून/विनियम उसके अनुपालन की अनुषंगी अपेक्षाओं के बिना नहीं हो सकता है। पुराने जमाने में अनुपालन कार्यकलाप को बैंकों में अन्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ जोड़ दिया जाता था; तथापि, बैंकिंग के अधिक जटिल होते जाने पर बैंकों में अनुपालन एक स्वतंत्र कार्य के रूप में विकसित हुआ है। मैं संक्षेप में बताता हूँ कि बैंकों में अनुपालन कार्य का विकास हाल के दिनों में हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 1992 में बैंको में 'अनुपालन अधिकारी' की प्रणाली आरंभ की, जो बैंकों में धोखाधड़ियों और अनाचार के संबंध में गठित समिति (घोष समिति) की सिफारिशों पर आधारित थी। अनुपालन अधिकारियों की भूमिका पर वर्ष 1995 से अधिक थ्यान केंद्रित हुआ, जब लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक को अनुपालन कार्य के लिए जिम्मेवार बनाया गया, जिसमें यह अपेक्षा की गयी वे सीधे सीएमडी को अनुपालन कार्य के संबंध में आवधिक रिपोर्टिंग या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। तथापि, धीरे-धीरे यह माना जाने लगा कि बैंकों में अनुपालन कार्य के घेरे को न केवल बढ़ाये जाने की, बल्कि उसे भली-भाँति परिभाषित करने की भी आवश्यकता है, विशेष रूप से उस परिदृश्य में, जहाँ उत्तरोत्तर वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टें, जो बैंकिंग पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की जाती थीं, बहुत सारी अनुपालन-जन्य कमियाँ बताती थीं। अनुपालन कार्य की आवश्यकता और महत्व के बारे में रिज़र्व बैंक की मान्यता को और अधिक बल तब मिला, जब बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा बैंकों में अनुपालन जोखिम और अनुपालन कार्य के संबंध में उच्चस्तरीय पत्र अप्रैल 2005 में जारी किया गया। इन सिद्धांतो ने वह बुनियादी जमीन तैयार की, जिसके आधार पर हमने वर्ष 2007 में बैंकों में अनुपालन कार्य पर दृढ़तापूर्वक ध्यान देने के लए निदेश जारी किये।

अनुपालन प्रक्रिया का विषय-क्षेत्र क्या है?

13. भारत में बैंक मुख्यतया बैंककारी विनियमन अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत परिचालन करते हैं। तथापि, ऐसे अन्य बहुत सारे अधिनियम हैं, यथा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), आयकर अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), जो बैंकिंग के व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। भारत में बैंकों को भारतीय रिज़र्व

बैंक, जो प्रमुख विनियामक है, द्वारा जारी किये गये आवधिक विनियमों एवं निदेशों का अनुपालन करना होता है। पुनः, चूँकि भारतीय बैंक भौगोलिक रूप से सीमापार भी अपना विस्तार कर रहे हैं, अतः उन्हें समुद्रपार क्षेत्राधिकार में लागू स्थानीय विधियो और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। बीसीएसबीआइ, एफआइएमएमडीए, एफइडीएआइ और आइबीए द्वारा निर्धारित किये गये उद्योग मानक और संहिताएँ भी हैं, जिनका अनुसरण करना बैंकों के लिए आवश्यक होता है। अधिकांश बैंकों के सरकारी क्षेत्र में आ जाने और स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो जाने से, उन्हें सूचीकरण और प्रकटीकरण अपेक्षाओं का भी पालन करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, चूँकि बैंक अन्य व्यवसाय/कार्य भी करने लगे हैं, यथा, बैंकएश्योरेंस, म्युचुअल फंडों का प्रतिविक्रय, धन-प्रबंध, आदि, अतः उन्हें अन्य विनियामकों, यथा, आइआरडीए, सेबी, पीएफआरडीए, आदि द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लगभग 54 कानून हैं, जो बैंकिंग व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और उन सबों के लिए कुछ-न-कुछ अनुपालन जरूरी होता है। अक्सर अनुपालन कार्य उस सीमा से बाहर तक जाता है, जो विधिक रूप से बंधनकारी होते हैं, और यह कार्य निष्ठा एवं नैतिक आचरण की अपेक्षा रखता है।

14. अनुपालन कार्य में न केवल बैंक का एकल परिचालन सम्मिलित होता है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के पारा बैंकिंग कार्य भी सम्मिलित होते हैं, जो अधिक व्यापक बैंकिंग समूह के भीतर संचालित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, अनुपालन जोखिम का प्रबंध एक उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंध ढाँचे के अंतर्गत करना बहुत आवश्यक है।

अननुपालन का परिणाम क्या होता है?

15. अनुपालन-उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करने से ऐसी भिन्न-भिन्न प्रकार की जोखिमें सामने आ सकती हैं जिनके संभावित प्रभाव से बैंकों में दुर्बलता आ सकती है। बीसीबीएस के पत्र में अनुपालन जोखिम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है *''विधिक या विनियामक प्रतिबंध, भरपूर वित्तीय हानि, या प्रतिष्ठा हानि, जो इसके बैंकिंग कार्यकलापों पर लागू होने वाली विधियों, विनियमों, नियमों, संबद्ध स्व-नियामक संगठन मानकों एवं आचरण संहिताओं का अनुपालन करने में विफल होने के परिणामस्वरूप उठानी पड़ सकती है''*। इस प्रकार अनुपालन का क्षेत्र विधिक एवं प्रतिष्ठामूलक जोखिमों को पहचानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विनियामकों /पर्यवेक्षकों, जिनमें आरबीआई शामिल है, द्वारा विनियमित संस्थाओं पर निदेशों, नियमों और सांविधिक अपेक्षाओं का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया दंड, जिसके साथ 'ख्याति और बदनामी' जुड़ी होती है, जो इस प्रकार के दंड के चलते आती है, बैंकों द्वारा सामना की गयी अनुपालन जोखिम की अभिव्यक्ति होती है। वास्तव में, अनुपालन विभाग का एक प्रमुख कार्य सूचना का प्रसार करना है, जिसके द्वारा अनुपालन-विफलता के दृष्टांत स्टाफ के बीच त्वरित ढंग से परिचालित किये जाते हैं और उसके साथ निवारक अनुदेश होते हैं, विशेष रूप से भविष्य में धोखाधड़ियों /अनर्थ की घटनाओं पर और अनुपालन जोखिम की अन्य प्रकार से अभिव्यक्ति पर नजर रखने और रोकने के संबंध मे अनुदेश होते हैं।

एक कारगर अनुपालन ढाँचे के आवश्यक अवयव क्या होते हैं?

16. अब मैं उन तत्वों पर ध्यान देना चाहता हूँ, जिनके बारे में मेरा मानना है कि वे कारगर अनुपालन ढाँचे के बुनियादी भवन खंड बनते हैं। इनमें शामिल हैं : (i) अनुपालन नीति; (ii) अनुपालन संरचना; (iii) अनुपालन मैनुअल /जाँच सूची; (iv) अनुपालन कार्मिक; और (v) अनुपालन लेखापरीक्षा। अनुपालन प्रक्रिया में शामिल होता है प्रत्येक व्यवसाय खंड, उत्पादों और प्रक्रियाओं, में अनुपालन जोखिम के स्तर की पहचान करना और परिचालन कर्मियों को उचित सलाह देना तथा इस प्रकार की जोखिमों का शमन करने के लिए अनुदेश तैयार करना। अनुपालन प्रक्रिया की अखंडता इस पर निर्भर होगी कि किस प्रकार उत्तम ढंग से अनुपालन शिल्प संगठन के भीतर तैयार किया गया है और क्या अनुपालन कार्य का उत्तरदायित्व और जवाबदेही दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यदि हम सही ढंग से उक्त मूलभूत तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकें, तो यह पता चल सकेगा कि एक कारगर अनुपालन ढाँचे की नींव भली प्रकार रखी गयी है।

17. बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा तैयार की गयी युक्तियुक्त जोखिम शमन योजना का विकास करने में अनुपालन अधिकारियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भावी उत्पादों और सेवाओं के पूर्व-अनुवीक्षण के दौरान अनुपालन कार्य विनियामक दिशा-निर्देशों के संभावित भंग के संबंध में महत्वपूर्ण निविष्टियाँ प्रदान कर सकता है। अक्सर प्रलेखन की कमियाँ बैंकों की परिचालन दक्षता पर बुरा प्रभाव डालती हैं और यही स्थिति अनुपालन कार्य के मामले में भी हो सकती है। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि अनुपालन मैनुअलों में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी समाविष्ट की जाये और विस्तृत जाँच सूचियाँ तैयार की जायें, जो

एक 'व्यवहार के नियम (do's and don'ts)' की मदवार सूची की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, जिनका अनुसरण अनुपालन के पदानुक्रम में प्रत्येक नया पदधारी करेगा और संस्थागत याददाश्त निर्मित करने में सहायता करेगा। पुनः, अनुपालन प्रक्रिया अपना वांछित उद्देश्य सिद्ध कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुपालन और लेखापरीक्षा कार्य के बीच समन्वय हो।

18. तथापि, मुझे यह कहने दें कि सभी बैंकों के पास एकसमान आंतरिक अनुपालन संरचना का होना आवश्यक नहीं है, रिजर्व बैंक के अनुपालन दिशा-निर्देश बैको के बीच उनके परिचालन मान, उनकी जोखिम प्रोफाइल ओर संगठनात्मक संरचना की भिन्नता को मान्यता देते हैं और इसलिए उनके प्रबंधन को अनुमति देते हैं कि वे अपनी अलग-अलग जरूरत के अनुसार अनुपालन कार्य संचालित करें । तथापि, यहाँ मैं एक चेतावनी देना चाहूँगा। एक सदैव परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में, बैंकर के रूप में हम आज जो कुछ नहीं कर सकते हैं, वह कल ऐसी दूर की संभावना नहीं भी हो सकती है, और इसलिए अनुपालन अधिकारियों को न केवल विनियमों के वर्तमान सेट की जानकारी रखनी है, बल्कि उन्हें चालू परिचालनों में आनेवाली संभावित अड़चनों का अनुमान भी लगाना है। ऐसी ही स्थिति अनुपालन संरचना के संबंध में भी है, जिसके लिए नमनीयता और अनुकूलनीयता को विकसित होते व्यवसाय के अनुरूप रखा जाना है।

क्या बैंकों के व्यापक परिचालन अधिदेश और अनुपालन कार्य के बीच हितों का टकराव होता है?

19. अनुपालन टीमें सदैव इस उलझन में रहती हैं कि क्या विनियम की कुछ सख्ती को नजरंदाज किया जाये, ताकि व्यवसाय में असुविधा नहीं हो या उनका प्रवर्तन सोत्साह किया जाये। इस बात का महत्वपूर्ण रूप से समर्थन किया जाना, जो इस दुविधा को समाप्त करने में सहायक हो सकता है, उस हद तक स्वतंत्रता दिया जाना है, जिसका उपभोग अनुपालन अधिकारी कर सकते हैं। यह अनिवार्य होगा कि अनुपालन अधिकारी पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग करें, ताकि वे विभिन्न व्यवसाय खंडों में संभावित अनुपालन कमियों या फंदों के बारे में अपनी आशंकाओं को भयनुक्त होकर व्यक्त कर सकें। इस उद्देश्य से आरबीआई ने यह निर्धारित किया है कि अनुपालन अधिकारियों का पारिश्रमिक उन व्यवसाय खंडों से स्वतंत्र हो, जिनके लिए वे उत्तरदायी होते हैं और वह बैंक के समग्र वित्तीय कार्य निष्पादन के अधिक संरेखण में हो। विभिन्न विंदुओं पर अनुपालन की जाँच के लिए एक व्यवहार्य प्रणाली तैयार करना, जिससे कि व्यवसाय खंडों द्वारा अनुपालन कार्य प्रभावित न हो, अनुपालन कार्य के प्रधान द्वारा बैंकों के निदेशक मंडल के पास सीधे रिपोर्ट किये जाने की प्रथा को सबल बनाना, आदि, कुछ ऐसे साधन हैं, जो अनुपालन कार्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन कार्य में बैंकों के शीर्ष प्रबध तंत्र की क्या भूमिका होती है?

20. उपर्युक्त तर्क संभवतः बैंकों में समर्पित अनुपालन इकाइयों की प्रधान भूमिका की ओर इंगित करते हैं। तथापि, यह अनुपालन कार्य में शीर्ष प्रबंध तंत्र की भूमिका को नकारता नहीं है। बैंकों में अनुपालन सुनिश्चित करने में शीर्ष प्रबंध तंत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह एक ऐसा मोरचा था, जिस पर बीसीबीएस दस्तावेज ने अनुपालन कार्य और कारपोरेट अभिशासन के बीच अंतर्संबंध के अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था। उच्च स्तर का अनुपालन हासिल करना इस बात को रेखांकित करता है कि प्रबंधन सब समय उत्तरदायी और जवाबदेह बने रहने में समर्थ है, जो कारपोरेट अभिशासन का एक आवश्यक सिद्धांत है, विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि इस प्रक्रिया को कर्मचारियों के लिए ऊपर से नीचे तक अनुकरण किये जाने हेतु आरंभ किया जाना होता है। सर्वाधिक कारगर कारपोरेट संस्कृति, जिसमें ईमानदारी और निष्ठा के स्तर पर जोर दिया गया हो, एक ऐसी संस्कृति है, जिसमें निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंध तंत्र उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अगुआई करते हैं। इसके अतिरिक्त, दुतरफा संसूचना की एक सक्रिय सरणी बनायी जानी है, जो शीर्ष प्रबंध तंत्र की अनुपालन प्रकृति का संचरण पदानुक्रम में नीचे तक कर सके और निचले स्तर से प्रतिसूचना प्राप्त कर सके, ताकि बैंक की अनुपालन प्रक्रिया में क्रमिक रूप से सुधार हो।

क्या सैद्धांतिक शिक्षा अनुपालन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करेगी?

21. जबकि अनुपालन अधिकारियो के पास सजीव, परिचालनात्मक वातावरण में कार्य करने का पूर्व अनुभव होता है, विधियों एवं संविधियों के ज्ञान और भूमिकां तथा उत्तरदायित्वों के ज्ञान के संदर्भ में एक ठोस सैद्धांतिक आधार होना निश्चित रूप से फायदेमंद हो सकता है। इसी संदर्भ में ऐसे पाठ्यक्रमों का, जिनमें से एक का आरंभ आज किया जा रहा है, बड़ा प्रभाव अनुपालन कार्य करने वालों पर होगा और वे विधिक अनुपालन के आवश्यक पहलुओं के बारे में शिक्षित हो सकेंगे, उनमें प्रलेखन-संबद्ध जागरूकता का सृजन होगा और इस प्रक्रिया में, अनुपालन रूपी कवच में आयी दरार को दूर करने की सीख मिलेगी। अन्य कुछ भी जानने से अधिक अनुपालन अधिकारियों को उन क्षेत्रों को जानना आवश्यक है, जिनमें वे परिचालन करते हैं, उनके कार्य का विषय-क्षेत्र क्या है और उनका परस्पर संवाद और पहुँच कहाँ

तक सीमित या विस्तृत होनी चाहिए। सारांशतः, उन्हें इस बात से अवगत होना चाहिए कि उन्हें अनुपालन विफलताओं के बारे में अपनी-अपनी-अपनी बोर्ड /प्रबंधन समितियों के पास कब और क्या रिपोर्ट करनी चाहिए और तब इसे बैंकिंग विनियामक और पर्यवेक्षक के पास अग्रसारित करना चाहिए। उनकी भूमिका नैतिक दबाव बनाने की भी होती है, जिसमें वे निदेशक मंडल को इस बात के लिए कायल करते हैं कि उन्हें विवेकपूर्ण अनुपालन नीतियों से निदेशित होना चाहिए, जो कभी-कभी प्रतिस्पर्धा, बाजार-माँग, सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षा की ताकतों द्वारा विभन्नि दिशाओं में घसीटी जा सकती हैं। यह पूर्ण रूप से वांछनीय है कि अनुपालन विफलताओं को पहले ही रोक लिया जाये, बनिस्बत इसके कि संभावित नुकसान हो जाने के बाद इसकी रिपोर्ट की जाये। अनुपालन स्टाफ को कानून, लेखाशास्त्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उचित ज्ञान होना चाहिए। साथ ही विभिन्न व्यवसाय खंडो का व्यावहारिक अनुभव और लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए, ताकि वे अपना कर्तव्य कारगर ढंग से पूरा कर सकें। अनुपालन कर्मचारियों को बैंकिंग विधियों, नियमों एवं मानकों के क्षेत्र की गतिविधियों का अद्यतन ज्ञान रखने में सहायता करने के लिए उन्हें उन क्षेत्रो, यथा, बैंकिंग क्षेत्र में नये आरंभ किये गये उत्पाद एवं सेवाएँ, कारपोरेट अभशिासन, जोखिम प्रबंध, पर्यवेक्षकीय प्रथाएँ, आदि में नियमित एवं प्रणालीगत शिक्षा/प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

समाहार

22. अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि प्रत्येक बैंक को एक तगड़ी अनुपालन प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छी तरह से प्रलेखबद्ध अनुपालन नीति हो, जो बैंक के अनुपालन संबंधी दर्शन की रूपरेखा, अनुपालन विभाग की भूमिका और ढाँचा, इसके स्टाफ का संघटन एवं उनके विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से बताये गये हों। अनुपालन नीति कारगर हो सके, इसके लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि यह नीति व्यवसायों की जोखिम प्रोफाइल से और उनकी कथित जोखिम वहन क्षमता से चालित हो। बैंक की सुदीर्घ स्थिरता और अस्तित्व में बने रहने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि एक स्वस्थ अनुपालन संस्कृति विकसित की जाये और उसे बैंक के सबसे निचले संवर्ग के स्टाफ तक प्रसारित किया जाये। यदि हम अनुपालन के बुनियादी सिद्धांतों का अनुसरण करें, तो अनुपालन विफलता के अभिव्यक्त होने की जोखिम कम की जा सकेगी, हम इस बात से सहमत हैं कि अनुपालन कार्य करना महँगा होता है और इसमें खर्च शामिल होता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊँ कि अंतिम विश्लेषण में, यह अननुपालन होगा, जो महँगा सिद्ध होगा और संस्था के अस्तित्व को खतरे में डालेगा।

23. बैंकों में अनुपालन कार्य का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण है बढ़ती विनियामक जटिलताएँ और बैंकिंग अनुपालन-कार्य में सक्षम पेशेवर व्यक्तियों की माँग का होना। निरंतर विकसित होते विधिक/विनियामक ढाँचे को देखते हुए, इस क्षेत्र में जो लोग पहले से कार्यत हैं, उन्हें भी अपना ज्ञान-आधार ओर कौशल सेट अद्यतन रखना होगा, ताकि वे प्रासंगिक बने रहें। मैं यह मानता हूँ कि आज आरंभ किया जा रहा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपयुक्त प्रशिक्षण-प्राप्त बैंकिंग अनुपालन के क्षेत्र के पेशेवर व्यक्तियो का एक संवर्ग सृजित करने में मदद करेगा। यह संतोष की बात है कि यह पाठ्यक्रम न केवल बैंकरों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने सीएआइआइबी पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, बल्कि आइसीएसएल के सदस्यों के लिए भी उपलब्ध होगा। इस तथ्य को देखते हुए कि उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधिक ज्ञान आवश्यक होता है, कंपनी सचिवों को, जिन्हें विविध कानूनों का अच्छा ज्ञान होता है, अनुपालन अधिकारी के रूप में रखे जाने का अर्थ यह होगा कि सही काम के लिए सही व्यक्ति को रखा गया है।

24. नीतियाँ और उत्पाद अकेले ही बैंकिंग कार्य-निष्पादन की सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। बैंकों का कार्य-निष्पादन स्टाफ की गुणवत्ता, उनकी व्यावसायिक सक्षमता और बैंक में अनुपालन संस्कृति पर भी निर्भर करता है। इसका पोषण किया जाना होता है और इसे प्रशिक्षण एवं अन्य ज्ञान-प्रबंध प्रयासों के माध्यम से अद्यतन बनाये रखना होता है। बैंकों के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि वे अपने पास व्यावसायिक प्रशिक्षकों का वर्ग रखें, ताकि इन प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके और यहीं सर्टिफाइड बैंक ट्रेनर पाठ्यक्रम सहायक होगा। चूँकि हमें बहुत सारे व्यावसायिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो सक्षमता-सृजन का कार्य आगे बढ़ायें और बैंक स्टाफ के लिए गुरु का काम कर सकें, मैं यह महसूस करता हूँ कि इस पाठ्यक्रम का विषय-क्षेत्र अपूर्व भी है।

25. मैं आशा करता हूँ कि बैंकर और आइसीएसआइ सदस्य, दोनों ही यह महसूस करते हैं कि इन दोनों पाठ्यक्रमों के बहुत सारे लाभ हैं और वे इनका अभीष्ट उपयोग करेंगे। मेरा विश्वास है कि इन पाठ्यक्रमों का आज के व्यवसाय-वातावरण में बहुत महत्व है, जहाँ बैंकों की श्रम-शक्ति और अनुपालन संस्कृति ऐसे दो क्षेत्र होते हैं, जो बैंकों को प्रतिस्पर्धात्मक फायदा पहुँचा सकते हैं। मैं एक बार फिर से सभी तीनों संस्थाओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने युक्तियुक्त समय पर इन दो पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया है और भविष्य में उनके शैक्षिक प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद!